कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
229/18	17.07..2018	29.03.2019

1 बनवारीलाल पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी सिरोड कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

वादी

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

प्रतिवादी

दावा –ईश्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति–1 श्री सतीश कुमार यादव द्वितीय वकील– वादी

निर्णय

दिनांक 29.03.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि आराजी खसरा नं0 289/0.28 हैक0 का 15/28 दर 1/3 हिस्सा वाके ग्राम सिरोड कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 स्थित होकर वादी को जरिये विनिमय पत्र दिनांक 09.10.2015 के प्राप्तशुदा खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नं0 90 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से भू–प्रबन्ध विभाग ने हाल खसरा नं0 289 रकबा 1बीघा 2 बिस्वा बनाये व हाल राजस्व रिकार्ड मे मैट्रिक प्रणाली के रकबा 0.28 हैक0 बनाया हुआ है। साबिक खसरा नं0 90 का राजस्व रिकार्ड मे नक्शा (मसाबी) अनुसार उत्तरी –पूर्व कोना से गैरमुमकिन रास्ता साबिक खसरा नं0 160 जिसके हाल खसरा नं0 299 से लगता हुआ है एवं सदैव से ही मशाबी मे दर्शित अनुसार ही चालू रहा है। वादी इसे रास्ते के रूप मे आवागमन मे काम ले रहा है। वादी से पूर्व इस रकबे के मालिकान व बूजुर्गान भी इसे रास्ते के रूप मे काम मे लेते आ रहे थे। विनिमय पत्र के बाद वादी ने अपने हिस्से मे मकानात बना लिए। चूंकि ये खसरा नं0 ग्राम की आबादी से लगता हुआ है। भू–प्रबन्ध विभाग ने नया नक्शा संवत् 2029 से 2042 बनाते समय साबिक राजस्व रिकार्ड व मौके के खिलाफ पेश करदा राजस्व नक्शा (मशाबी) संवत् 1921 मे साबिक खसरा नं0 90 के हाल खसरा नं0 289 के उत्तरी–पूर्वी कोने को जो गैरमुमकिन रास्ता हाल खसरा नं0 299 की ओर था को बन्द कर

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

दिया व अन्य दिगर खसरा नं0 की डोल को आगे की ओर बढा दिया जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को साबिक से हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा बनाते समय मौके स्थिति अनुसार ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तित करना चाहिए था जबकि उन्होनें मौके व साबिक राजस्व रिकार्ड के खिलाफ अंकन किया है जो गलत अंकन काबिल दुरूस्त है। वादी को जब रिकार्ड का अवलोकन करने पर इसकी जानकारी हुई तब वादी दिनांक 30.10.2015 को प्रतिवादी से साबिक रिकार्ड के आधार पर हाल रिकार्ड नक्शा को दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तो प्रतिवादी ने दुरूस्त कर पूर्व की भांति करने से साफ इंकार कर दिया। जिस हेतु वादी ने 136 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्त किये जाने नक्शा आप श्रीमान के यहां पेश किया जो प्रार्थना पत्र कानूनी बाध्यता के कारण प्रार्थी ने विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा साबिक राजस्व नक्शा मशाबी के अनुसार दुरूस्त करने के लिए वाद पेश करने की इजाजत लेते हुए प्रार्थना पत्र को दिनांक 06.07.2018 को विड्रा कर लिया इस लिए अब अविलम्ब ही वाद पत्र पेश किया जा रहा है। बिनाय दावी व बिनाय मुखास्मत वादी को हाल राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से जानकारी पैदा होने पर दिनांक 30.10.2015 को प्रतिवादी के समक्ष दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश करने तथा कानूनी बाध्यता के कारण नया वादी पेश करने की स्वीकृति दिनांक 06.07.2018 से पैदा होकर दावा मामूलन अंदर मियाद पेश है आदि का निवेदन करते हुए वादी वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि साबिक खसरा नं0 90 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा राजस्व नक्शा (मशाबी) संवत् 1921 के अनुसार उत्तरी–पूर्वी कोना गैरमुमकिन रास्ते खसरा नं0 160 से लगता हुआ है जिससे हाल खसरा नं0 289 रकबा 0.28 हैक्0 है को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व नक्शा संवत् 2029–2049 बनाते समय गलत रूप से बंद कर गैरमुमकिन रास्ता से दूर किया गया है, को दुरूस्त किया जाकर हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा को साबिक राजस्व नक्शा (मशाबी) अनुसार दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड नक्शे मे अंकन किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी द्वारा बार बार अवसर उपरान्त जवाब प्रस्तुत नही किए जाने की स्थिति मे सरकार के जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र बनवारी लाल पी0 डब्ल्यू0–1, सत्यवीर पी0 डब्ल्यू0–2, बलबीर पी0 डब्ल्यू0–3, मेहताब पी0 डब्ल्यू0–4 एवं दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल किता–2 प्रदर्श–1, नकल नक्शा मशाबी सन् 1921 संवत् 1978 प्रदर्श–2, नकल नक्शा मोमिया ट्रेस संवत् 2029–48 प्रदर्श–3 नकल आदेशिका दिनांक 06.07.2018 अनुवानी पत्रावली बनवारी बनाम सरकार प्रदर्श–4, नकल प्रार्थना पत्र धारा 136 प्रदर्श–6, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 खसरा नं0 289 वाके ग्राम सिरोडकलां

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

प्रदर्श–7, नकल जमावन्दी संवत् 2071–74 बावत खसरा नं0 299 प्रदर्श–8 एवं फोटोप्रति विनिमय पत्र दिनांक 09.10.2015 बावत खसरा नं0 289 वाके ग्राम सिरोडकलां के पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण के संबंध मे तहसीलदार मुण्डावर से साविक खसरा नं0 90 रकवा 1 बीघा 2 विस्वा हाल खसरा नं0 289 रकवा 0.28 हैक्0 एवं साविक खसरा नं0 91 रकवा 3 विस्वा हाल खसरा नं0 288 रकबा 0.03 बिस्वा के बावत पूर्व नक्शे एवं वर्तमान नक्शे की रकवा वरारी की जाकर मय नजरी नक्शे मौका रिपोर्ट इस न्यायालय द्वारा चाही जाने पर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा उक्तानुसार रिपोर्ट जरिये पत्रांक 584 दिनांक 13.02.2019 के मय नजरी नक्शा प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हुई। मुताबिक उक्त मौका रिपोर्ट हाल खसरा नं0 288 रकवा 3 विस्वा जो कि साबिक खसरा नं0 91 रकबा 3 विस्वा से पैमूद हुआ है तथा हाल आराजी ख0 नं0 289 रकवा 1 बीघा 2 बिस्वा जो साबिक खसरा नं0 90 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा से पैमूद हुआ है मुताविक राजस्व रिकार्ड वादी का आराजी खसरा नं0 289 रकबा 0.28 हैक्0 मे 15/28 दर 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा वादी मौके पर अपने हिस्से अनुसार काविज है मुताविक मशावी सीट साबिक खसरा नं0 90 से तरफ उत्तर–पूर्व कोने मे रास्ता खुलता है। जिसके नाप मुताविक मशाबी 2 गठ्ठा है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा संवत् 2029 मे जारी नक्शे मे हाल खसरा नं0 288 को उत्तरी–पूर्वी कोने तक मिला दिया गया। जबकि मशाबी सीट मे 2 गठ्ठे पहले ही दर्ज है। आराजी खसरा नं0 289/0.28 हैक्0 मौके अनुसार उत्तरी–पूर्वी कोने से रास्ता लगता हुआ है। साबिक खसरा नं0 90, 91 व हाल खसरा नं0 288, 289 की मशाबी मे व हाल नक्शा लठ्ठा मे रकबा बरारी करने पर कोई अन्तर नही आता है ठीक इसी प्रकार नजरी नक्शा अंकित कर रिपोर्ट पेश की गयी है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वाद पत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए निवेदन किया है की साबिक खसरा नं0 90 के राजस्व नक्शा (मशाबी) अनुसार उत्तरी–पूर्व कोने से गैरमुमकिन रास्ता साबिक खसरा नं0 160 हाल खसरा नं0 299 से लगता हुआ है एवं सदैव से ही उक्त रास्ता मशाबी दर्शित अनुसार ही चालू रहा है आज दिन भी चालू है वादी इसे रास्ते के रूप मे आवागमन के लिए ले रहा है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने नया नक्शा संवत् 2029 से 2049 बनाते समय खिलाफ रिकार्ड खिलाफ मौका पेश करदा राजस्व नक्शा (मशाबी) संवत् 1921 मे साबिक खसरा नं0 90 हाल खसरा नं0 289 के उत्तरी पूर्वी कोने को जो गैरमुमकिन रास्ता हाल खसरा नं0 299 की ओर था को बन्द कर दिया व अन्य साबिक खसरा नं0 91 रकबा तीन बिस्वा के हाल खसरा नं0 288 रकबा 3 बिस्वा की डोल को आगे की ओर बढा दिया। जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को साबिक से हाल राजस्व रिकार्ड नक्शा बनाते समय मौके व साबिक रिकार्ड के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तित करना चाहिए था। इस हेतु

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

वादी ने अपने वाद के समर्थन मे अन्य दस्तावेजात के साथ साथ मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 नकल मशाबी प्रदर्श–2 एवं नकल मोमिया ट्रेस नक्शा प्रदर्श–3 पेश किये है तथा श्रीमान न्यायालय द्वारा तलब की गयी तहसीलदार मुण्डावर की पूर्व नक्शे एवं वर्तमान नक्शे के बाबत की रकबा बरारी की जाकर मयनजरी नक्शे चाही गयी मौका रिपोर्ट अनुसार प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भी वादी मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज है एवं मुताबिक मशाबी सीट साबिक खसरा नं0 90 से तरफ उत्तर पूर्व कोने मे रास्ता खुलता है जिसकी नाप मुताबिक मशाबी 2 गठ्ठा है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संवत् 2029 मे जारी नक्शे मे हाल खसरा नं0 288 को उत्तर–पूर्वी कोने तक मिला दिया गया है जबकि मशाबी सीट मे उक्त खसरा नं0 का नक्शा 2 गठ्ठे पहले ही दर्ज है के साथ साथ साबिक खसरा नं0 90, 91 जिनके हाल खसरा नं0 288, 289 की मशाबी मे व हाल नक्शा लठ्ठा मे रकबा बरारी करने पर कोई अन्तर नही आता है के बाबत का अंकन है इस प्रकार से वादी ने अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजो से साबित किया है का निवेदन करते हुए वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन रहा है।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवं वादी द्वारा वाद पत्र एवं वाद पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पी0 डब्ल्यू0–1 लगायत पी0 डब्ल्यू–4 अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्यो मे भी साबिक खसरा नं0 90 के राजस्व रिकार्ड मे राजस्व नक्शा (मशाबी) अनुसार उत्तरी –पूर्वी कोने से गैरमुमकिन रास्ता साबिक खसरा नं0 160 हाल खसरा नं0 299 से लगता हुआ एवं सदैव से ही मशाबी मे दर्शित अनुसार चालू रहा होना अंकित किया है ठीक इसी प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत रिकार्डेड साक्ष्य यथा मिलान क्षेत्रफल संवत् 2029 प्रदर्श–1 जो विवादित आराजीयात के साबिक से हाल रिकार्ड को प्रमाणित करता है तथा नकल नक्शा मसाबी प्रदर्श 2 एवं नकल नक्शा मोमिया नक्शा ट्रेस संवत् 2029–48 प्रदर्श–3 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि मुताबिक मशाबी साबिक खसरा नं0 90 का उत्तरी पूर्वी कोना गैरमुमकिन रास्ता खसरा नं0 160 से लगता हुआ का अंकन है जबकि प्रदर्श–3 मोमिया सीट अनुसार साबिक खसरा नं0 91 जिसका हाल खसरा नं0 288 रकबा 3 बिस्वा की उत्तरी पूर्व कोने को जो गैरमुमकिन रास्ता खसरा नं0 हाल 299 की ओर था को बन्द कर दिया है। इस प्रकार वादी द्वारा अपने वाद पत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति मे यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे वाद वादी डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नं0 289 रकबा 0.28 वाके ग्राम सिरोडकलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी राजस्व नक्शा संवत् 2029 से

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Scanned by CamScanner

2049 मे उत्तरी पूर्वी कोना से गैरमुमकिन रास्ता साबिक खसरा नं0 160 हाल खसरा नं0 299 से दूर किया गया है को दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नं0 289 रकबा 0.28 हैक्टेयर के नक्शे को मुताबिक मशाबी उत्तरी–पूर्वी कोने से हाल गैर मुमकिन रास्ता ख0 नं0 299 तक 2 गठ्ठा चौडाई का हाल राजस्व नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड यथा नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती/तरमीम की जाकर अमल दरामद की जावे। तदअनुसार पर्चा डिक्री जारी हो ।

यह निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः– योगेश कुमार डागुर, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
229 / 18	17.07.2018	29.03.2019

1 बनवारीलाल पुत्र बिहारी जाति जाट निवासी सिरोड कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

वादी

बनाम

1 सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।

प्रतिवादी

दावा –ईश्तकरारहक, दुरूस्ती इन्द्राज

वादी की ओर से **श्री सतीश कुमार यादव द्वितीय एडवोकेट** की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख 29.03.2019 को **योगेश कुमार डागुर, उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

हाल आराजी खसरा नं0 289 रकबा 0.28 वाके ग्राम सिरोडकलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी राजस्व नक्शा संवत् 2029 से 2049 मे उत्तरी पूर्वी कोना से गैरमुमकिन रास्ता साबिक खसरा नं0 160 हाल खसरा नं0 299 से दूर किया गया है को दुरूस्त किया जाकर हाल खसरा नं0 289 रकबा 0.28 हैक्टेयर के नक्शे को मुताबिक मशाबी उत्तरी–पूर्वी कोने से हाल गैर मुमकिन रास्ता ख0 नं0 299 तक 2 गठ्ठा चौडाई का हाल राजस्व नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड यथा नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती / तरमीम की जाकर अमल दरामद की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.03.2019 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(योगेश कुमार डागुर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,मुण्डावर

Scanned by CamScanner